कार्यालय – वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन, स्थान+पो0+जिला – चतरा, झारखण्ड – 825401
फोन नं– 06541-253690, Email – cf-chatra@gov.in

पत्रांक – 290 दिनांक – 27/04/26

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय– मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा चतरा जिला अंतर्गत 132KV D/C Itkhori to Chatra Transmission Line निर्माण हेतु कुल 55.217 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल– 53.679 हे0 एवं चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल – 1.538 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग– भारत सरकार ,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड, रांची का पत्रांक– FP/JH/TRANS/40120/2019/691 दिनांक 16.11.2022, प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का ज्ञापांक 1188 दिनांक 18.11.2022 एवं आपका ज्ञापांक 2587 दिनांक 18.11.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा छः बिन्दुओं पर की गई पृच्छा के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 1055 दिनांक 21.04.2026 एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 775 दिनांक 25.04.2026 द्वारा बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन इस कार्यालय में समर्पित किया है। निराकरण प्रतिवेदन की स्थिति निम्नवत है–

क्र0 सं0	पृच्छा	निराकरण
1	The KML File of total proposed forest land for diversion.	इस पृच्छा के निराकरण में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी/उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयक परियोजना निर्माण के क्रम में चतरा दक्षिणी/उत्तरी वन प्रमण्डल अतर्गत अपयोजित हेतु प्रस्तावित कुल वनभूमि का kmlfile, PARIVESH 1.0 Portal पर Form-A के Part-I में अपलोड कर दिया गया है।

2	The kml of complete alignment and alternative routes of transmission line explored.	इस पृच्छा के निराकरण में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी/उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयक परियोजना का Complete alignment एवं ढुंढे गये दो Alternative routes का KML फाईल परिवेश पोर्टल पर अपलोड़ किया गया है। साथ ही KML का CD भी समर्पित किया गया है जिसे संलग्न किया जा रहा है।
3	As per Geotechnical observation, it appears that proposed forest proposed for diversion has already been violated by User Agency by starting the work in forest before the required permission. If, so, then it must be taken into cognizance at the earliest and a complete action taken report against the perpetrators in this regard may be uploaded/ submitted to this office along with the explanation why the forest department could not assess the violation while processing the application.	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है :– • विषयगत परियोजना में अधिसूचित वनभूमि पर भारत सरकार से बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना ही प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित मौजा–टोनाटाँड़ में एक (1) एवं मौजा– हुरनाली में एक (1) कुल–2(दों) टॉवरों का निर्माण किया गया है। • वनभूमि में अवैध तरिके से किये गये टॉवर निर्माण के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत दोशी पदाधिकारी विरूद्ध वन वाद दर्ज करते हुए चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल के कार्यालय के ज्ञापांक 64 दिनांक 06.01.2024 द्वारा वाद का अभियोजन मुख्य न्यायिक दण्ड़ाधिकारी, चतरा के न्यायालय में अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेज दी गई है। वर्तमान मे यह मामला मुख्य न्यायिक दण्ड़ाधिकारी के न्यायालय में लंबित है। (अभियोजन प्रतिवेदन संलग्न अनु0–2) **(क)** दोनों टॉवर के निर्माण में कम में प्रभावित अधिसूचित वनभूमि का कुल रकबा 0.01620 हे0 है। **(ख)**दोनो टॉवर के निर्माण हेतु दोशी पदाधिकररियों का नाम निम्नवत् है। 1. सुनिल कुमार, तत्कालीन प्रबंधक, संचरण अवर प्रमंडल, झारखण्ड़ उर्जा संचरण नि0लि0, चतरा। 2. प्रमोद कुमार सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर,के0 रामाचन्द्रा राउ ट्रांसमिसन एण्ड़ प्रोजेक्ट प्रा0

		लि, एच0आई0–199, एच0एच0 कॉलोनी, रांची–834002. दोनो पदाधिकारियों का नाम का उल्लेख अभियोजन प्रतिवेदन में अंकित है। • साथ ही विषयगत परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिना पूर्वानुमति के गैरमजरूआ जंगल झाड़ी भूमि पर किये गये टॉवरो का निर्माण के विरूद्ध दोषी लोगो पर कार्रवाई करने हेतु एवं उल्लंघन से प्रभावित रकबा उपलब्ध कराने हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल के कार्यालय के पत्रांक 2150 दिनांक 04.09.2023 द्वारा उपायुक्त, चतरा से अनुरोध किया गया था। उक्त मामलें में उपायुक्त, चतरा द्वारा उनके ज्ञापांक. 67 दिनांक 08.01.2026 द्वारा गैरमजरूआ जंगल झाड़ी भूमि पर टॉवर निर्माण किये जाने से संबंधित मामले में वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम,1980 का उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकबा) को चिन्हित करने हेतु समिति का गठन किया गया। उल्लंघन किये जाने से संबंधित मामले में गठित समिति द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में उनके ज्ञापांक .406 दिनांक 23.02.2026 द्वारा गैरमजरूआ जंगल झाड़ी में उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकबा) एवं टॉवरों की संख्या को चिन्हित कर इस कार्यालय में जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्राप्त प्रतिवेदन में अवैध तरिके से किये गये टॉवरों की सं0–.39 एवं गैरमजरूआ जंगल झाड़ी का प्रभावित रकबा 0.52494 उल्लेखित है। साथ ही उपायुक्त, चतरा द्वारा प्रभावित उल्लंघन से प्रभावित रकबा पर पीनल एन0पी0भी0 लगाने हेतु अनुशंसा किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंड़ल द्वारा विषयक परियोजना का दिनांक 06. 09.2021 एवं दिनांक 29.11.2021 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन में वनभूमि पर अवैध रूप से किये गये टॉवर निर्माण के संबंध में टिप्पणी अंकित नहीं है।

		1. उक्त से संबंध में यह स्पष्ट है कि वन प्रमंड़ल पदाधिकारी द्वारा जिन स्थलों का निरीक्षण किया गया होगा उन स्थलों पर उस समय टॉवर का निर्माण नहीं किया गया होगा। 2. चूँकि विषयक परियोजना में कुल 194 टॉवरो का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था। यह संभव है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा प्रस्तावित सभी टॉवरो का सभी टॉवरों का स्थलीय निरीक्षण नहीं किया गया होगा, जिनमें से इन अवैध टॉवरों का निर्माण कराया गया होगा। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है :– विषयक परियोजन में उपायुक्त, चतरा द्वारा उनके ज्ञापांक 67/रा०दिनांक 08.01.2026 द्वारा बिना सक्ष मस्तर की पूर्वानुमति के गैर–मजरूआ जंगल–झाड़ी पर किये गये टॉवर निर्माण किये जाने से संबंधित मामले में वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन की जाँच हेतु संयुक्त जाँच कमिटी गठित किया गया। उक्त संयुक्त गठित जाँच कमिटी द्वारा गैर–मजरूआ जंगल–झाड़ी में उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकवा) एवं टॉवरों की संख्या को चिन्हित कर इस कार्यालय में स्थलीय जाँच प्रतिवेदन उपायुक्त, चतरा के पत्रांक 406/रा० दिनांक 23.02.2026 (छायाप्रति सलंग्न, **अनु०–2)** के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उक्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार चतरा उत्तरी वनप्रमंडल अंतर्गत अपयोजित होने वाली वनभूमि पर कोई भीटॉवर का निर्माण कार्य नही किया गया है, फलस्वरूप, इस प्रमंडल अंतर्गत वन (संरक्षण एवंसंवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन का मामला नहीं बनता है।
4	As per Geo-spatial analysis, it also appears that the transmission line has already been installed and in the uploaded KML, the user agency has tampered with the actual transmission line routes.	इस पृच्छा के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है:– (a) There has been no intentional tampering of the KML file uploaded on the Parivesh portal. (b) The alignment KML was initially

	Situation may be explained.	uploaded in segment/patches based on the information available at the time. . Consequently, the portal displayed an incomplete/fragmented alignment, which would have appeared inconsistent during geo-spatical analysis. Also, a complete and consolidated alignment KML of the transmission line is prepared and submitted in soft copy (CD) by user agency which is annexure-I इस पृच्छा के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है:– "There is no deviation under Chatra (North) Forest Division." इसके साथ ही प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयक ट्रांसमिशन लाईन के Complete and consolidated alignment का kml file, CD में समर्पित किया गया है।
5	Three Cost benefit analysis are uploaded which is ambiguous. Therefore, unnecessary files/documents should be removed.	इस पृच्छा के निराकरण में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी/उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया है कि इस पृच्छा के निराकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित Cost Benefit Analysis PARIVESH 1.0 Portal पर Form-A के Part-I में अपलोड कर दिया गया है। प्रतिवेदन संलग्न।
6	The user agency should submit an undertaking to abide the Chief Wildlife Warden's recommendation and also should submit the draft framework for mitigative measures/ plans alongside.	इस पृच्छा के निराकरण में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी/उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव संरक्षण एवं वन्यजीव संरक्षण योजना का सम्मान एवं पालन करने से संबंधित बचनबद्धता समर्पित किया गया है। प्रतिवेदन संलग्न।

अतः वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी/उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा समर्पित निराकरण प्रतिवेदन की छः प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

आपका विश्वासी,

27/04/26

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।